अपील सूचना अधिकार संख्या 05/2018 अनवानी श्री धर्मपाल शर्मा पुत्र श्री सुरजाराम निवासी 3 एफ छोटी साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर

12–03–2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री धर्मपाल शर्मा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री धर्मपाल शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

> **चक 4 एफ छोटी जिला व तहसील श्रीगंगानगर के मु0न0 53 के बीघा न0 2,3,8,9,12 व 13 कुल 4 बीघा 16 विस्वा कृषि भूमि माफी मन्दिर की है। सन् 1956–57 माफीदार रजिस्टर में दर्ज माफीदार सुरजा राम पुत्र श्री पोखर राम जाति ब्राम्हण वाले पृष्ट की प्रमाणित प्रति देवे अथवा उक्त माफीदार का नाम प्रमाणित कर प्रति देवे।**

अपीलार्थी श्री धर्मपाल शर्मा द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2017 के द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दुवार उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या टीआरए/467 दिनांक 26.02.18 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा माफी रजिस्टर चक 4 एफ छोटी के मु0न0 53 के 4.16 बीघा माफीदार सुरजाराम के संबंध में सूचना चाही है। माफी रजिस्टर में माफीदार सुरजाराम का खाता न पाये जाने के कारण उसे पत्र सं0 97 दिनांक 11.01.18 के द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेख का अवलोकन कर आवश्यक अभिलेख की नकल प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया। प्रार्थी ने उनके कार्यालय में उपस्थित होकर रिकार्ड का अवलोकन किया गया किन्तु बाद अवलोकन किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति की मांग नही की गई है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 232 दिनांक 23.01.18 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

> **उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत प्रा0 पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गई है। चक 4 एफ छोटी के मु0न0 53 के किला न0 2,3,8,9, 12 व 13 कुल 4.16 बीघा कृषि भूमि माफी मंदिर के नाम है। सन 1956–57 माफी रजिस्टर में दर्ज माफीदार सुरजाराम पुत्र पोखरराम जाति ब्राम्हण के पृष्ट की प्रमाणित प्रति चाही गई है। टीआरए शाखा में उपलब्ध रजिस्टर में उक्त माफीदार का खाता खुला हुआ नही है न ही आवंटन का विवरण दर्ज है। आप द्वारा तहसील कार्यालय में उपस्थित आकर अभिलेख का अवलोकन भी कर लिया है। आप द्वारा चाही गई सूचना अपुष्ट या विश्वसनीय नही है। बाद अवलोकन किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति की मांग नही की गई है।**

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन एवं अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर के अनुसार अपीलार्थी द्वारा माफीदार सुरजाराम के संबंध में चाही गई सूचना से संबंधित तहसील कार्यालय की टीआरए शाखा में उपलब्ध माफी रजिस्टर में माफीदार सुरजाराम का खाता खुला हुआ नही है और न ही आवंटन का विवरण दर्ज है जिस कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अपीलार्थी द्वारा भी तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेख का अवलोकन करने के बाद किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति की मांग नही की गई है। अपीलार्थी द्वारा आज न्यायालय में उपस्थित आकर कोई आक्षेप भी प्रस्तुत नही किया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 23.01.2018 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर